

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग


विषय: राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'कॉफी टेबल बुक' का प्रकाशन।

एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना के पचास वर्ष दिनांक 26 जून 2025 को पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर विभाग की ऐतिहासिक यात्रा, प्रमुख कार्यकलापों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन हेतु किए गए प्रयासों को आम जन के समक्ष रोचक एवं प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक 'कॉफी टेबल बुक' का प्रकाशन किया जा रहा है।

2. यह कॉफी टेबल बुक मुख्यतः आकर्षक चित्रों, संक्षिप्त विवरणों, तथ्यात्मक आँकड़ों तथा उल्लेखनीय आयोजनों के माध्यम से विभाग की 50 वर्षों की यात्रा को समाहित करेगी। साथ ही, पुस्तक को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि वह न केवल सूचनाप्रद हो बल्कि दृश्यात्मक रूप से आकर्षक एवं संग्रहणीय भी हो। 'कॉफी टेबल बुक' के लिए प्रस्तावित बिंदु निम्नलिखित हैं:

- i. भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा।
- ii. हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जी का विज्ञन।
- iii. राजभाषा विभाग की स्थापना, योगदान एवं उपलब्धियां। (महत्वपूर्ण तिथियाँ, निर्णय एवं ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की झलक)
- iv. राजभाषा विभाग की प्रमुख योजनाएं एवं अखिल भारतीय सम्मेलन/क्षेत्रीय आयोजन।
- v. संसदीय राजभाषा समिति, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केंद्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान आदि का गठन एवं योगदान।
- vi. विदेशों में हिन्दी।
- vii. हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में परस्पर सम्भाव।
- viii. हिंदी के प्रसार में हिंदीतर भाषी विद्वानों का योगदान।
- ix. राजभाषा के प्रचार-प्रसार में आधुनिक तकनीक का योगदान - अनुवाद टूल कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, भारतीय भाषा अनुभाग आदि।

3. चूंकि यह एक ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर पर प्रकाशित 'कॉफी टेबल बुक' का दस्तावेज़ी महत्व होगा, अतः इसे समृद्ध और सर्वसमावेशी बनाने के उद्देश्य से हिंदी विद्वानों एवं भाषाविदों/हिंदी प्रेमियों से प्रासंगिक सुझाव एवं विषय-वस्तु (दस्तावेजी महत्व के चित्र आदि) आमंत्रित किए जाते हैं। कृपया अपने सुनिश्चित करें। विभाग में प्राप्त सामग्री के प्रयोग के संबंध में अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग का होगा और युनी गई सामग्री के प्रेषक को सचिव (राजभाषा) की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।


(अनिल कुमार)
उप सचिव (पत्रिका)